

क्रमांक 9776-3 एस-75/

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

- (1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला व हिसार मण्डल तथा हरियाणा के सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी।
- (2) रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायधीश।

दिनांक, चण्डीगढ़ 22 जनवरी, 1976

विषय :—तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स लिखने बारे।

महोदय,

सरकार के ध्यान में आया है कि कई विभागों में तदर्थ आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट्स नहीं लिखवाई जा रही हैं, जबकि गोपनीय रिपोर्ट्स सम्बन्धी समेकित हिदायतों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ऐसे कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट्स न लिखी जायें और ये हिदायतों के अनुकूल नहीं हैं अतः मुझे आपको यह कहने का निदेश हुआ है कि तदर्थ आधार पर लगे कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स नियमित तौर पर लिखवाई जाया करें। आम्से अनुरोध है कि ये हिदायतें आपके अधीन कार्य कर रहे सभी रिपोर्टिंग अथोर्टीज के ध्यान में दृढ़ता से पालन करने के लिये ला दी जायें।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

हस्ताक्षर

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

- (1) वित्तायुक्त हरियाणा तथा
- (2) हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव।

अशा0 क्रमांक 9776-3 एस-75,

दिनांक 22 जनवरी, 1976